न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत—संजीव कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 2022/485

1. चैनाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी बहलोलनगर तहसील व जिला हनुमानगढ ।

—वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर—**प्रतिवादी**

दावाबाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
दावाअन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित—

1. श्री नेतराम सियाग वकील वादी
2. पैरोकार राज

—:निर्णय:—

दिनांक :— 29/09/2023

संक्षेपमें इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से मौजा रोही कालू तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1960 तादादी 6.3200 हैक्टेयर बारानी भूमि स्थित है। जिस पर वादी का कब्जाकाश्त है। वादगत भूमि वादी की पुरानी भूमि है। जिसमे वादी का नाम चैनसुख चला आ रहा है। जो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। वादी का वास्तविक नाम चैनाराम है इसलिए चैनसुख के स्थान पर चैनाराम दर्ज करवाना चाहता है। राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम चैनसुख है किन्तु सभी दस्तावेजों मे वादी का नाम चैनाराम है यदि वादी का नाम चैनसुख के स्थान पर चैनाराम दर्ज करवाना चाहता है। नाम चैनसुख के स्थान पर चैनाराम किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही। नाम शुद्ध होने से वादी को न्याय मिलेगा व सरकारी सुविधा प्राप्त कर सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

अलग–अलग नाम होने के कारण वादी किसी सरकारी सुविधा को प्राप्त नही कर सकता वादी को इस कारण सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। दिनांक 02.12.2022 को वादी द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम की दुरूस्ती की जावें । तहसीलदार महोदय द्वारा कहा कि मै आपके नाम शुद्ध नही कर सकता । प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट इन्कार करने पर वाद कारण हासिल हुआ। यही तारीख विनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। अतः वकील वादी द्वारा घोषणात्मक डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी विनाय की जारी फरमाई जावे कि वादगत खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम से कृषि भूमि मौजा रोही कालू तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1960 तादादी 6.3200 हैक्टेयर बारानी भूमि स्थित है। जिसमे वादी का नाम चैनसुख के स्थान पर चैनाराम नाम की घोषणा करवाने का हकदार है जिसकी घोषणा हेतु निवेदन किया गया।

वाद दर्ज रजिस्टर कर स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर को समन जारी किये गए। वादी का वास्तविक नाम चैनाराम हैं। इसी नाम से वादी जाना व पुकारा जाता हैं। चैनाराम उर्फ चैनसुख नाम से जमाबन्दी ग्राम 43 एसएसडब्ल्यु बहलोलनगर तहसील हनुमागढ की प्रति, वादी के सहीनाम से ही आधार कार्ड, पेनकार्ड, किसानकार्ड, वोटर आईडी वाहन आरसी , ग्राम पंचायत बहलोलनगर सही नाम के सम्बन्ध मे जारी प्रमाणपत्र आदि तमाम दस्तावेज बने हुए है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावाब हकवादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे उक्त भूमि खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में चैनसुख को दुरूस्त कर चैनाराम दुरूस्त फरमावें। अतः वादगत भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में चैनसुख के स्थान पर चैनाराम खातेदार घोषितकरवाने का हकदार है। अन्य अनुतोष जो करने न्यायोचित हो वादी को दिलाया जावे। पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर ने वादी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन उपरान्त वांछित दुरूस्ती की घोषणा किये जाने की अनुशंषा की है। वादी ने अपने दावे के समर्थन में चैनाराम उर्फ चैनसुख नाम से जमाबन्दी ग्राम 43 एसएसडब्ल्यु बहलोलनगर तहसील हनुमागढ की प्रति, वादी के सहीनाम से ही आधारकार्ड, पेनकार्ड, किसानकार्ड, वोटर आईडी वाहन आरसी , ग्राम पंचायत बहलोलनगर सही नाम के सम्बन्ध मे जारी प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध चैनाराम उर्फ चैनसुख नाम से जमाबन्दी ग्राम 43 एसएसडब्ल्यु बहलोलनगर तहसील हनुमागढ की प्रति, वादी के सहीनाम से ही आधारकार्ड, पेनकार्ड, किसान कार्ड, वोटर आईडी वाहन आरसी , ग्राम पंचायत बहलोलनगर सही नाम के सम्बन्ध मे जारी प्रमाण पत्र आदि के आधार पर स्पष्ट होता है कि चैनसुख और चैनाराम एक ही व्यक्ति है। लिपिकिय भूलवंश राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम चैनसुख चला आ रहा है। जिसकी दुरस्ती हेतु निवेदन किया है। शपथ पत्र वादी चेनाराम एव सरपंच ग्राम पंचायत बहलोलनगर की तस्दीक अनुसार वादी का नाम चैनसुख एवं चैनाराम एक ही है, इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादी का नाम चैनाराम होने की पुष्टि होतीहै।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि रोही मौजा कालू के ख. नं. 1960 की तादादी 6.3200 है0 में वादी का नाम चैनसुख के स्थान पर चैनाराम दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अतः उक्त दुरूस्ती का अंकन कियाजावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29/09/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर जलसाआम में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्डअधिकारी
लूनकरणसर